न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/237

लक्ष्मीचन्द आत्मज पन्ना लाल जाति तेली हाल निवासी रिद्धी–सिद्धी कॉलोनी भदाना कोटा जंक्शन, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण आत्मज गोपाल जाति मेघवाल हाल निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अहमद हुसैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कमोलर तहसील सांगोद में खसरा नम्बर 478 की 0.15 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के सहारे पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में अप्रार्थी लक्ष्मीचन्द के खाते की खसरा नम्बर 323 की 1.24 हैक्टर भूमि लगी हुई है । प्रार्थी अपने खाते की आराजी पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन करने का 15 फिट चौडा रास्ता कमोलर से डाबरीकला जाने वाली आम सडक में प्रार्थी के खेत तक कायम चला आ रहा है परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त

रास्ते की भूमि को उसके खाते की खसरा नम्बर 323 की भूमि बताकर प्रार्थी को उक्त रास्ते की भूमि तक जाने का रास्ता बन्द कर दिया है । प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी कमोलर से कुछ गवाहान के समक्ष दिनांक 20.04.2017 को मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर अम्बेडकर छात्रावास की दीवार के सहारे उक्त भूमि में से 15 फिट चौडाई की जगह रास्ते हेतु छुडवाकर उक्त भूमि के बदले अप्रार्थी को अपने खाते की खसरा नम्बर 478 की भूमि में से उत्तरी मेड के सहारे की 02 मीटर चौडी भू–पट्टी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 323 में मिला दी गई । इसके बावजूद भी प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन नहीं करने दे रहा है । प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि पर कृषि कार्यो हेतु आवागमन करने का कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थी को उसके खाते की खसरा नम्बर 323 की भूमि में से 50 X 15 वर्ग भूमि को 251 (क) राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अप्रार्थी को उक्त भूमि की डीएलसी दर की दोगुनी राशि भुगतान करने को तैयार है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 323 की रकबा 1.24 हैक्टर में से अम्बेडकर छात्रावास कमोलर की उत्तरी सडक की दीवार के सहारे 15 फिट चौडाई में अपने खाते की खसरा नम्बर 478 की 0.15 हैक्टर भूमि तक की भूमि स्थायी रूप से रास्ता कायम किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 1.24 हैक्टर में से 0.0219 है0 भूमि पर डीएलसी दर से दोगुना राशि जमा कराने पर नया रास्ता कायम करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलान्ट की भूमि पर 30 फिट चौडा रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो राजस्थान टिनेन्सी गर्वनमेन्ट (अमेन्टमेंट) रूल्स, 212 के नियम 69 के विपरीत है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलान्ट की भूमि पर 30 फिट चौडा रास्ता कायम करने का आदेश दिया है जो राजस्थान टिनेन्सी गर्वनमेन्ट (अमेन्टमेंट) रूल्स, 212 के नियम 69 के विपरीत है । नियम 69 में स्पष्ट प्रावधान है कि परगना अधिकारी स्वयं उस खेत का निरीक्षण करें या भू–अभिलेख निरीक्षक मौका रिपोर्ट ले उसके बाद पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें परन्तु परीक्षण

न्यायालय ने न तो स्वयं मौका देख न ही तहसीलदार से मौका दिखवा कर रिपोर्ट ली । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सम्मन प्रोपर तामील नहीं करवाये है। परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.07.2021 में अपीलान्ट को सम्मन तामील होना अंकित किया है परन्तु तामील किसने प्राप्त की यह अंकित नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । चूँकि तामील प्रोपर नहीं हुई है । अतः उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2019 (2) आरआरटी पेज 1507, 2022 डीएनजे (1) पेज 303, आरआरटी 2019 (2) पेज 1128, डीएनजे 2021 (2) पेज 1127 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को सम्मन तामील हुए थे सम्मन उनके पुत्र को तामील हुए हैं । परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र के दौरान राजस्व कोर्ट कैम्प चल रहे थे उक्त कैम्प में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने रास्ता चौडा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 29.11.2021 को आदेश पारित किया और उसी अनुसार नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने डीएलसी का चैक भेजा था जिसे लेने से इंकार कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2021 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कमोलर की आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि रामकरण पुत्र गोपाल के खातेदारी में दर्ज है ।

10. प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का प्रस्तुत कर प्रार्थी के खाते की आराजी पर आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 323 में से 15 फिट चौडा रास्ता कायम करने का कथन किया । तत्पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 29.102021 को राजस्व कोर्ट कैम्प कमोलर में दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिसमें एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व कैम्प कोर्ट में रखने तथा दूसरा प्रार्थना पत्र 15 फिट रास्ते की बजाय 30 फिट चौडा रास्ता कायम करने का कथन किया गया । परीक्षण न्यायालय ने 15 फिट रास्ते के बजाय 30 फिट चौडा रास्ता करने हेतु परीक्षण न्यायालय में संशोधन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश करने का आदेश दिया जो परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.10.2021 से साबित है । प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय में आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दिनांक 08.11.2021 को स्वीकार कर 30 फिट चौडा रास्ता कायम करने हेतु पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित किया है जिस पर 24.11.2021 को पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है और 15 फिट रास्ते को 30 फिट करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण भी अंकित नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय को आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को भी यथासंभव

सूचित करना चाहिए था । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है ।

11. मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2021 का अवलोकन किया । उक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी कमोलर के द्वारा तैयार की गई है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 69 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या इससे उपर के अधिकारी द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2021 (2) डीएनजे पेज 1129 यहॉ चस्पा होता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 की पालना करते हुए तथा रास्ते की चौडाई की आवश्यकता एवं औचित्यता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.06.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा